

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/8/2025

पशावली आज प्रार्थना पत्र प्रार्थी मांगीलाल व

रामकुमार अन्तर्गत धारा 151-152 CPC
पेश होने पर पेशी में ली गई। निवेदन
किया गया है कि डिह्री दिनांक 13/8/25
में विभाजन में प्रतिवादी सं. 5, 6 को
प्राप्त कुल 2.530 हेक्टेयर रकबा का
अंकन ब.दि.क. किया गया है जबकि
उक्त 2.530 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 5
मांगीलाल को 1.012 हेक्टेयर व प्रति.
सं. 6 रामकुमार को 1.518 हेक्टेयर भूमि
प्राप्त होनी चाहिए थी। उक्त प्रार्थना
पत्र स्वयं हितबद्ध पञ्जाकार द्वारा पेश
किया गया है व अपना हितसा
दुकस्त किया गया है इसलिए प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
डिह्री दिनांक 13/8/2025 में प्रतिवादी
सं. 5, 6 को विभाजन में प्राप्त रकबा
2.530 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 5
को 1.012 व प्रतिवादी सं. 6 को 1.518
हेक्टेयर पदा जावे। शेष आदेश
यथावत रहें। पशावली काबिल कर्तव्य
रहें। आदेश सुनाया गया।

सहायक जज
एवं उपसहायक जज
मुमुनाबा